

अति तत्काल
आर टी आई मामला

संख्या 14036/508/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 6.8., 2013

सेवा में

श्री मयंक चौहान,
टी-806, तृतीय तल,
इन्द्रसेनी भवन,
सुखदेव मार्केट, कोटला मुबारकपुर,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 19.2.2013 का आवेदन।


महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आवेदन (इस अनुभाग में 12.7.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी याचिका को इस मंत्रालय के दिनांक 15.1.2013 के पत्र सं. 14036/1/2012-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित कर दिया गया है तथा, इसलिए आपका आर टी आई आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस को उनकी तरफ से आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में, गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के. के. पाठक, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,


(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-11)

दूरभाष : 23092856

*Equal in the case
2013/2013
12/8*

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति, अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को भेजे जाने के अनुरोध के साथ संलग्न है। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।